संख्या-6/2018 /जी-1- 104 /दस-2018-227/2008

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 20 जुलाई, 2018**

विषयः- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को नगर प्रतिकर भत्ते की अनुमन्यता के संबंध में।

महोदय,

वेतन समिति, (2016) की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या-04/2018/जी-1-103 /दस-2018-227/2008 दिनांक 18 जुलाई, 2018 द्वारा प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/ प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शिक्षक (यू0जी0सी0 एवं ए0आई0सी0टी0आई0सी0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में अनुमन्य मैट्रिक्स लेवल के आधार पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय सेवा केराज्य सरकार में तैनात अधिकारियों को भी उक्त शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2018 द्वारा अनुमन्य वेतन के मैट्रिक्स लेवल के अधार पर संबंधित नगर के लिए निर्धारित दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराये जाने एवं ऐसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जो राज्य सरकार के अधीन कार्यरत रहते हुये उत्तर प्रदेश के बाहर नियुक्त है को उक्त शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2018 द्वारा अनुमन्य वेतन के मैट्रिक्स लेवल के आधार पर लखनऊ एवं कानपुर के लिए निर्धारित दरों पर नगर प्रतिकर भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- शासनादेश संख्या-04/2018/जी-1-103 /दस-2018-227/2008 दिनांक 18 जुलाई, 2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शेष शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,
(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-6/2018/जी-1-104 (1)/दस-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वतीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार द्वतीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
(3) प्रमुख सचिव/विधान सभा/परिषद सचिवालय
(4) सचिव, श्री राज्यपाल।
(5) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।
(7) निदेशक अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरों, वित्त विभाग, उ0प्र0।
(8) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(9) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सरयू प्रसाद मिश्र,)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।